

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 100057 / 16 वैवाहिक

मनोज नामदेव पुत्र श्री अमृतलाल नमदेव
आयु 25 साल जाति नामदेव निवासी
वार्ड नं०5 लक्ष्मण तलैया गोहद जिला
भिण्ड म०प्र०

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती प्रीति नामदेव पत्नी मनोज नामदेव
पुत्री जगदीश नामदेव आयु 22 साल
जाति नामदेव निवासी वार्ड नं०5 लक्ष्मण
तलैया गोहद हाल निवासी ग्राम चीनोर
पर० भितरवार जिला ग्वालियर म०प्र०

-----अनावेदिका

आवेदिका द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता
अनावेदिका द्वारा श्री विकास कांकर अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 10-3-2017 को पारित किया गया //

- 1- वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।
- 2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मनोज नामदेव (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती प्रीति नामदेव(जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से

पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह मई 2013 में ग्राम चीनोर में सम्पन्न हुआ था । विवाह के बाद आवेदक और अनावेदिका एक साथ अपने घर वार्ड नं05 गोहद में रहे । शादी के प्रारम्भ से ही आवेदक एवं अनावेदिका में बैचारिक मतभेद रहे जो कि निरन्तर चलते रहे जिन्हें दोनों व्यक्ति बर्दाश्त करते रहे कि कभी न कभी तो सुधार होगा लेकिन जब वैवाहिक संबंध ठीक से स्थापित नहीं हो सके और दोनों अलग अलग हो गये । अनावेदिका की ओर से एक प्रकरण दिनांक 2-7-2015 को थाना गोहद में आवेदक के विरुद्ध धारा 498ए भा0द0वि0 के अन्तर्गत भी पंजीबद्ध कराया जो संचालित है । आवेदक एवं अनावेदिका का आपसी झगडा इस सीमा तक पहुंच गया कि दोनों एक साथ वर्तमान परिस्थितियों में रहना सम्भव नहीं था और वर्तमान में साथ साथ रहना सम्भव नहीं है । अनावेदिका वर्तमान में अपने पिता के घर रह रही है । दोनों पक्षकारों को कई बार रिस्तेदारों के समझाने के बावजूद भी साथ रहने वाबत् समझौता नहीं हो सका है। आवेदक के द्वारा समझौते के आधार पर अनावेदिका ने स्थाई भरण पोषण के लिये एक मुश्त धनराशि प्राप्त कर ली है । अब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है। ।

3- उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 23-8-16 को पेश किया गया उसके उपरान्त न्यायालय के द्वारा आगामी तिथियां नियत की गयी । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार क्रं01 मनोज नामदेव एवं पक्षकार क्रं02 श्रीमती प्रीति को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है । धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है ।

4- उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार क्रं02 श्रीमती प्रीति पक्षकार क्रं01 मनोज नामदेव की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई

संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष करीब एक वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकार कं0 1 के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भरण पोषण की संपूर्ण राशि न्यायालय के बाहर पक्षकार कं02 को प्रदान कर दी है अब पक्षकार कं02 किसी प्रकार का कोई भरण पोषण पक्षकार कं0 1 से प्राप्त भी नहीं करना है ।

5— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1—आवेदक पक्षकार कं01 मनोज नामदेव तथा श्रीमती प्रीति पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2—उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3—उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड